



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2013-अग्रहायण 1, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH
HIGH COURT CAMPUS, JABALPUR - 482001

The 22nd Nov 2013

NOTICE OF ELECTION

(Under Rule 6 of Election Rules of the Council)

(For Election of Members of State Bar Council of Madhya Pradesh)

No. SBC/MP/Notification/Ele/3.— The State Bar Council of Madhya Pradesh by this Notification notify the Election Programme of Election of Members of State Bar Council of Madhya Pradesh. The advocates who are willing to contest the election of the Members of State Bar Council of Madhya Pradesh may file their Nomination Papers before the undersigned in the Office of State Bar Council of Madhya Pradesh, High Court Campus, Jabalpur on the dates mentioned in this Notification along with the Security Deposit as prescribed by the State Bar Council of Madhya Pradesh in the year 2013 to be tendered either in cash or through a Bank Draft payable at Jabalpur at the time of filing of Nomination form. The Nomination Papers will be accepted between 11:00 A.M. to 4:00 P.M. and a candidate may also file an additional Nomination Paper.

The prescribed Nomination Form can be obtained from the undersigned by the desirous candidates from the Office of the State Bar Council of Madhya Pradesh, High Court Campus, Jabalpur on any working day between 11:00 AM to 4:00 P.M.. The Nomination Form duly filled by a candidate may be accepted through a proposer/secondor or through an agent duly authorized in writing by the candidate or through registered post so as to reach to the Office of the undersigned on or before the date of notified in this behalf. The programme of Election is as under :-

ELECTION PROGRAMME

1. Date of filing of nomination Paper. : 02, 03, 04 Dec., 2013
(second, third & fourth Dec 2013)

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | Date of scrutiny | : | 05.12.2013 |
| 3. | Date of withdrawal of Nomination : | | 11 & 12. 12.2013 |
| | after 05 clear days of last date of scrutiny. | | (eleventh & twelfth Dec., 2013) |
| 4. | Publication of list of contesting Candidates.(20 clear days before the date of Polling) | : | 16.12.2013 |
| 5. | Date of Polling | : | 07.01.2014 |
| 6. | The date of place and time for Counting of votes. | : | 20.01.2014 onward everyday
From 11:00 AM to 6:00 PM
S.B.C Counting Hall, High Court
Campus, Jabalpur. |
| 7. | Minimum number of seats to be Filled up from the amongst advocate Who on the relevant dates will have Been on state roll for at least 10 (ten years) | : | 10 (ten seats) |

Mukesh Mishra,

Returning Officer/Officiatin Secretary.

(430-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम वसन्त माहौर था. अब मेरा नाम बदलकर विशेष माहौर हो गया है. अब से मुझे विशेष माहौर के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(वसन्त माहौर)

नया नाम :
(विशेष माहौर)

निवासी-186, कान्य कुब्ज नगर, एयरपोर्ट रोड,
इन्दौर (म. प्र.) पिन-452005.

(429-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, कालूदास साकेत आत्मज श्री लुटुर प्रसाद साकेत, कार्यालय उप-संचालक मत्स्योद्योग, रीवा (म.प्र.) में सहायक वर्ग-3 के पद पर पदस्थ हूँ. मुझसे सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों में उप नाम " चर्मकार " अंकित है. अब मुझे कालूदास साकेत के नाम से यानी उपनाम " साकेत " के नाम से जाना व पहचाना जावे व सम्बन्धित दस्तावेजों में उपनाम " साकेत " ही मान्य होवे. चूंकि मेरे पुराने एवं नये अभिलेखों में उपनाम अलग-अलग होने से विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है. अतः " कालूदास चर्मकार " की जगह " कालूदास साकेत " के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(कालूदास चर्मकार)

नया नाम :
(कालूदास साकेत)

(428-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I WAJIHA HASHMI D/o Shri HIFZAN AHMED HASHMI, aged about 27 years, R/o F-3, Apex Avenue, Retghat, Bhopal do hereby solemnly affirm and state under:- That, my old name is WAJIHA HIFZAN AHMED which is not proper therefore I want to change my name as WAJIHA HASHMI. This is my correct and legal proper name, therefore I want to be known by WAJIHA HASHMI instead of WAJIHA HIFZAN AHMED. In future I will use the name of WAJIHA HASHMI.

OLD NAME :
(WAJIHA HIFZAN AHMED)

NEW NAME :
(WAJIHA HASHMI)

D/o Shri HIFZAN AHMED HASHMI

D/o Shri HIFZAN AHMED HASHMI
Address :- F-3, Apex Avenue, Opp.Sulemania
School, Retghat Road, Bhopal M.P.

(431-B.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 2013

क्र. जी.बी.चार/पेपर(के-11)2013-14/3971.—मध्यप्रदेश शासन के 2014 के मल्टीकलर कैलेण्डर तैयार कर प्रदाय करने हेतु मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में पंजीकृत मुद्रकों जो निविदा के तकनीकी विवरण में अंकित प्रत्येक आयटम की न्यूनतम अर्हता रखते हों से कागज, मुद्रण एवं अन्य के साथ समस्त कर सहित ई-टेण्डरिंग www.mpeproc.gov.in से आमंत्रित की जाती है।

2. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-टेण्डरिंग में प्रस्तुत निविदा की हार्डकापी **KEY-DATES** अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना होगा एवं निविदा के तकनीकी भाग की हार्डकापी एवं ऑन लाईन निविदा में प्रस्तुत तकनीकी भाग को उसी दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

3. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं विज्ञप्ति वेबसाईड www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर रखा गया है एवं ऑन लाईन बिडिंग www.mpeproc.gov.in पर किया जा सकता है।

(642)

Bhopal, Dated 15th November, 2013

No. GB-IV/Paper/(K-11) 2013-14/3971.— ON-LINE Bidding are invited on www.mpeproc.gov.in for making and supply of multicolour calenders of M.P. Government 2014 from the Registered Printers of Govt. Printing & Stationery M.P. Bhopal who have minimum essential qualifications mentioned in technical details of the tender for each item, Rates including paper, Printing and other charges with all taxes are invited as per key-dates on 29th November, 2013.

2. In all respects complete tender document (Hard Copy) must be received at the office of the undersigned latest by 3.00 PM on **29th November, 2013** as per Key-Dates and the Envelopes of Hard Copy of the Technical Tender will be opened ONLINE on the same day. i.e. **29th November, 2013** at 4.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. The tender form, details and term and conditions are available on the website www.tenders.gov.in and www.govtpressmp.nic.in and for ONLINE bidding go through www.mpeproc.gov.in .

RENU TIWARI,

Controller,

Printing & Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(642-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया	965/10-01-2008	762/01-08-2013

अतः मैं, कमल कांगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(614)

कमल कांगले,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,सिलोदा (मु. खलीलपुर)	835/21-05-2002	763/01-08-2013

अतः मैं, डी. के. आर्य, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(615)

शाजापुर, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमल्या	889/03-09-2004	137/12-02-2013

अतः मैं, डी. के. आर्य, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(628)

डी. के. आर्य,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेडा	698/28-12-1998	767/01-08-2013
2.	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानड	1003/04-09-2009	765/01-08-2013

अतः मैं, नवीन शर्मा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(616)

नवीन शर्मा,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलमोई	816/28-03-2002	758/01-08-2013

अतः मैं, आरिफ खान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(618)

आरिफ खान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढिया

शाजापुर, दिनांक 10 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परि./2013/140, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 21 अक्टूबर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, मो. आरिफ खान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(625)

मो. आरिफ खान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कानाखेडा	1011/09-11-2009	764/01-08-2013
2.	स्टेशनरी मेन्स्यु औद्योग. सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	467/10-03-1983	766/01-08-2013

अतः मैं, अशोक बोहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(621)

अशोक बोहरा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कादीखेडी	995/13-02-2009	1070/25-10-2013
2.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., भान्याखेडी	990/13-02-2009	1071/25-10-2013

अतः मैं, अशोक कुमार बोहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(640)

अशोक कुमार बोहरा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 27 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नीराताड गुड सहकारी संस्था मर्या., चौमा	1870/04-03-1983	769/01-08-2013

अतः मैं, मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(623)

शाजापुर, दिनांक 27 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेलगाँव	488/16-05-1988	134/12-02-2013

अतः मैं, मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक., कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

मनोज पुरोहित,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(624)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हिरणखेडी	963/04-12-2007	760/01-08-2013

अतः मैं, आर. एस. जरिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)

सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(617)

शाजापुर, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	सुयश मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खडी	851/06-01-2003	139/12-02-2013
2.	मायनारिटीज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	644/22-06-1995	136/12-02-2013

अतः मैं, आर. एस. जरिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(627)

आर. एस. जरिया,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या	992/13-02-2009	1069/25-10-2013
2.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा	998/02-03-2009	1068/25-10-2013

अतः मैं, आर. पी. बारोलिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया

जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(639)

आर. पी. बारोलिया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा

शाजापुर, दिनांक 10 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परि./2013/142, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 28 मार्च, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, कमल कुमार कांगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(622)

कमल कुमार कांगले,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरखी	272/17-01-1984	138/12-02-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलाना	425/14-09-1987	138/12-02-2013

अतः मैं, आर. के. खटीक, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(626)

आर. के. खटीक,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कोहडिया	966/16-01-2008	761/01-08-2013

अतः मैं, आर. के. असाटी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक., कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(619)

आर. के. असाटी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 कि धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुदरावन	298/11-10-1984	757/01-08-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नानकार	900/01-11-2004	759/01-08-2013

अतः मैं, विनोद शर्मा, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति

या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(620)

विनोद शर्मा,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भोगीपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 18 जुलाई, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/141, शाजापुर, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(629)

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 998, दिनांक 02 मार्च, 2009 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/615, शाजापुर, दिनांक 12 जून, 2013 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये। कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं।—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है।

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है। संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था।

संस्था द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2013 को संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है। जो पूर्णतः अस्पष्ट था एवं संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण संलग्न नहीं था। अतः संस्था को पुनः अवसर देते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/13/812, शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त, 2013 को पत्र लिखा गया था एवं पत्र प्राप्त के पश्चात् तीन दिवस में मय प्रमाण एवं साक्ष्य के कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में लिखा गया था परन्तु आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 तक 2½ माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को कार्य करने में कोई रूचि नहीं है।

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रामपुरा, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 998, दिनांक 02 मार्च, 2009 को आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. पी. बारोलिया, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(638)

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या, तहसील कालापपीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 992, दिनांक 13 फरवरी, 2009 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/613, शाजापुर, दिनांक 12 जून, 2013 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2013 को संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है. जो पूर्णतः अस्पष्ट था एवं संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण संलग्न नहीं था. अतः संस्था को पुनः अवसर देते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/13/810, शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त, 2013 को पत्र लिखा गया था एवं पत्र प्राप्ति के पश्चात् तीन दिवस में मय प्रमाण एवं साक्ष्य के कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में लिखा गया था परन्तु आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 तक 2¹/₂ माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को कार्य करने में कोई रूचि नहीं है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या, तहसील कालापपीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 992, दिनांक 13 फरवरी, 2009 को आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. पी. बारोलिया, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(638-A)

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कादीखेडी, तहसील कालापपीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 995, दिनांक 13 फरवरी, 2009 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/614, शाजापुर, दिनांक 12 जून, 2013 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2013 को संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है. जो पूर्णतः अस्पष्ट था एवं संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण संलग्न नहीं था. अतः संस्था को पुनः अवसर देते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/13/811, शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त, 2013 को पत्र लिखा गया था एवं पत्र प्राप्ति के पश्चात् तीन दिवस में मय प्रमाण एवं साक्ष्य के कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में लिखा गया था परन्तु आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 तक 2¹/₂ माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को कार्य करने में कोई रूचि नहीं है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कादीखेडी, तहसील कालापपीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 995, दिनांक 13 फरवरी, 2009 को आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक बोहरा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(638-B)

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भान्याखेडी, तहसील कालापिपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 990, दिनांक 13 फरवरी, 2009 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/617, शाजापुर, दिनांक 12 जून, 2013 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2013 को संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है. जो पूर्णतः अस्पष्ट था एवं संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण संलग्न नहीं था. अतः संस्था को पुनः अवसर देते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/13/813, शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त, 2013 को पत्र लिखा गया था एवं पत्र प्राप्त के पश्चात् तीन दिवस में मय प्रमाण एवं साक्ष्य के कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में लिखा गया था परन्तु आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 तक 2½ माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को कार्य करने में कोई रूचि नहीं है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भान्याखेडी, तहसील कालापिपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 990, दिनांक 13 फरवरी, 2009 को आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक बोहरा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(638-C)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चम्बल संभाग मुरैना

मुरैना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1134.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मुरैना, से प्राप्त पत्र क्रमांक 1655, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था हिगोनाखुर्द पंजीयन क्रमांक 1394, दिनांक 28 फरवरी, 2013 का पंजीयन संस्था के सदस्यों के 20 से कम परिवारों से होने पर भी संस्था के आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कराया गया है. संस्था के सदस्यों के 20 से कम परिवारों से होने के सम्बन्ध में केंद्रस्थ आधारित लेखा परीक्षा में आपत्ति ली गई है. एवं संस्था को धारा-18 (क) के अंतर्गत पंजीयन निरस्ती हेतु प्रस्तावित किया है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि संस्था में 1. रिकी रूस्तम सिंह, नीलम सतेन्द्र सिंह, पुष्पादेवी रणवीर सिंह (सास-बहू) 2. शकुन्ताला पंचम सिंह, सुमन जितेन्द्र सिंह, रेनू महेन्द्र सिंह (सास-बहू), 3. रामरती भीकाराम, सरोज राकेश (सास-बहू), के तीन परिवारों से सदस्य बनाये गये हैं. संस्था में पंजीयन के समय कुल 21 सदस्य हैं तथा इनके सदस्य बनाये जाने से संस्था के सदस्यों की प्रभावी संख्या 20 से कम है.

उक्त के आधार पर स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा 20 से कम परिवारों के सदस्य न होने पर भी संस्था का पंजीयन दुर्व्यपदेशन के आधार पर करा लिया गया है एवं परिवारों के सम्बन्ध में फलस्वरूप संस्था का मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-6 एवं 2 (झ) का पालन न होने से उक्त गठित संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित नहीं है. अतएव संस्था को अध्यक्ष- महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था हिगोनाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 1394, दिनांक 28 फरवरी, 2013 के माध्यम से संस्था सदस्यों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए? तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(630)

मुरैना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1135.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मुरैना, से प्राप्त पत्र क्रमांक 1656, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था जय बजरंग क्रय-विक्रय सहकारी संस्था हिगोनाखुर्द पंजीयन क्रमांक 1395, दिनांक 28 फरवरी, 2013 का पंजीयन संस्था के सदस्यों के 20 से कम परिवारों से होने पर भी संस्था के आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कराया गया है. संस्था के सदस्यों के 20 से कम परिवारों से होने के सम्बन्ध में केंद्रस्थ आधारित लेखा परीक्षा में आपत्ति ली गई है. एवं संस्था को धारा-18 (क) के अंतर्गत पंजीयन निरस्ती हेतु प्रस्तावित किया है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि संस्था में 1. पंचम सिंह पुत्र मोहन सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र पंचम सिंह, (पिता-पुत्र) 2. कमल सिंह पुत्र राम सिंह, मुकेश सिंह पुत्र कमल सिंह, (पिता-पुत्र) 3. रूस्तम सिंह पुत्र रनवीर सिंह, सतेन्द्र सिंह रनवीर सिंह (भाई-भाई), 4. मालती पत्नी विश्वनाथ सिंह, राकेश एवं जागेश पुत्र विश्वनाथ सिंह, (माता-पुत्र), 5. भीकाराम पुत्र ओछाराम, राकेश पुत्र भीकाराम सिंह, (पिता-पुत्र), के पांच परिवारों से सदस्य बनाये गये हैं. संस्था में पंजीयन के समय कुल 24 सदस्य हैं तथा इनके सदस्य बनाये जाने से संस्था के सदस्यों की प्रभावी संख्या 20 से कम है.

उक्त के आधार पर स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा 20 से कम परिवारों के सदस्य न होने पर भी संस्था का पंजीयन दुर्व्यपदेशन के आधार पर करा लिया गया है एवं परिवारों के सम्बन्ध में फलस्वरूप संस्था का मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-6 एवं 2 (झ) का पालन न होने से उक्त गठित संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित नहीं है. अतएव संस्था को अध्यक्ष- जय बजरंग क्रय-विक्रय सहकारी संस्था हिगोनाखुर्द पंजीयन क्रमांक 1395, दिनांक 28 फरवरी, 2013 के माध्यम से संस्था सदस्यों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए? तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(630-A)

मुरैना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1136.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था आदर्श तेल उद्योग सहकारी संस्था, दत्तपुरा, मुरैना, पंजीयन क्रमांक 367, दिनांक 10 जनवरी, 1959 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष- संस्था आदर्श तेल उद्योग सहकारी संस्था दत्तपुरा, मुरैना, के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(630-B)

मुरैना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1137.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013

से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था जय शीतला कामगार सहकारी संस्था मर्या., जैतपुर, पंजीयन क्रमांक 1068, दिनांक 19 फरवरी, 1996 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था जय शीतला कामगार सहकारी संस्था मर्या., जैतपुर के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(630-C)

मुर्ना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1138.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुर्ना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पठावली, पंजीयन क्रमांक 327, दिनांक 31 अगस्त, 1971 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पठावली के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(630-D)

मुर्ना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1139.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुर्ना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कुतवार, पंजीयन क्रमांक 571, दिनांक 17 जनवरी, 1987 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कुतवार के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(630-E)

मुरैना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1140.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था जिला फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 6 जुलाई, 1990 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था जिला फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., मुरैना के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(630-F)

मुरैना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1141.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था चम्बल बीज सहकारी संस्था मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 23 नवम्बर, 2002 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था चम्बल बीज सहकारी संस्था मर्या., पोरसा के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(630-G)

मुरैना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1142.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था सार्वजनिक प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 4629, दिनांक 7 अक्टूबर, 1947 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण

अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था सार्वजनिक प्राथमिक सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(630-H)

मुर्ना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1143.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुर्ना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था दुर्गावती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 1 सितम्बर, 1998 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था दुर्गावती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(630-I)

मुर्ना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1144.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुर्ना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद, पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 19 सितम्बर, 1976 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(630-J)

मुरैना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1145.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था शक्कर कारखाना कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., कैलारस, पंजीयन क्रमांक 504, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 विगत 2/3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था शक्कर कारखाना कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., कैलारस के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(630-K)

अभय कुमार खरे,
संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सरला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	डी/आर/बी/798/01-09-1998	क्र./परि./1703/28-06-2013
2.	रघुवंशपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	डी/आर/बी/182/14-10-1980	क्र./परि./1705/28-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(631)

बृजेश चौहान,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत

निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ आसमानी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भोपाल	डी/आर/बी/636/25-04-1995	क्र./परि./1694/28-06-2013
2.	ऋतु गृह निर्माण सह. समिति मर्या., भोपाल	डी/आर/बी/680/28-12-1991	क्र./परि./1697/28-06-2013
3.	राहुल महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भोपाल	ए./आर/बी/906/26-05-2006	क्र./परि./1389/01-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(632)

मुकुन्द राव भैसारे,
उप-अंकेक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	राजलक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	353/21-03-1983	2950/16-08-2012
2.	तत्पर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	938/09-07-2003	2950/16-08-2012
3.	पद्म प्रिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	843/05-01-2000	2950/16-08-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 06 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(633)

आर. के. कातुलकर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	उजाला ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	ए.आर.बी./1065/08-07-2005	1390/01-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की

अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(634)

ज्योत्सना जैन,

परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	बत्रा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	ए.आर.बी./736/03-09-1994	क्र./परि./1385/01-06-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(635)

अखिलेश नैन,

परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	सरिता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	डी. आर.बी./574/21-03-1994	क्र./परि./1258/23-05-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(636)

राजीव जैन,

परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	देवकीनन्दन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भोपाल	डी. आर.बी./511/28-08-1987	2074, दिनांक 16-08-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

अतः आज दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(637)

अनिल अग्रवाल,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	साख सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी	513/26-07-2005	226/18-01-2013	श्रीमती विनीता सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(641)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	अ. ज. जा. पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., बम्हारी (शिवपुरी).	473/13-01-2003	2410/11-12-2012	श्री पी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(641-A)

शिवपुरी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1582.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1435, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के द्वारा महादेव अनुसूचित जाति एवं जनजाति खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, करैरा को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महादेव अनुसूचित जाति एवं जनजाति खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, करैरा जिसका पंजीयन क्रमांक 407, दिनांक 04 फरवरी, 1998 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री यू.सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(641-B)

शिवपुरी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1583.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1436, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्रगतिशील मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, अलगी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्रगतिशील मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, अलगी जिसका पंजीयन क्रमांक 144, दिनांक 27 मार्च, 1983 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री यू.सी. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(641-C)

शिवपुरी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1584.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1437, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के द्वारा इन्द्रा अनुसूचित जाति महिला उत्थान सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इन्द्रा अनुसूचित जाति महिला उत्थान सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 391, दिनांक 06 मई, 1997 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(641-D)

शिवपुरी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1585.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1434, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के द्वारा कृष्णगंज नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, पोहरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कृष्णगंज नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, पोहरी जिसका पंजीयन क्रमांक 4897/रजि. 132, दिनांक 24 सितम्बर, 1947 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. बंसल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(641-E)

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2013-अग्रहायण 1, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील लहार (भिण्ड), घाटीगांव (ग्वालियर), रघुराजनगर, रामपुर-वधेलान (सतना), आगर, बड़ोद, कालापीपल (शाजापुर), पेटलावद (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, च. शेखर आजाद नगर, सोण्डवा, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील गोहद (भिण्ड), उचेहरा, अमरपाटन, बिरसिंहपुर (सतना), मानपुर (उमरिया), मो. बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), बड़वानी (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), नौगांव (छतरपुर), सोहागपुर, बुढार (शहडोल), अनूपपुर, जेतहरी (अनूपपुर), सुसनेर, नलखेड़ा (शाजापुर), धरमपुरी, डही (धार), ठीकरी, पाटी (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा), कुरई, घनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील कैलारस (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, मेहगांव, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, नरवर, करैरा, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), बमोरी, आरोन (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लौण्डी, गौरीहार, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामलहरा, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्ौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), देवरी, केसली शाहगढ़ (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, जवेरा, पटेरा (दमोह), रामनगर, मैहर (सतना), त्योंथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), जैसिंहनगर, जैतपुर, गोहपारू (शहडोल), कोतमा, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), गोपदवनास, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासराटप्पा, मानपुर, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, कयामपुर, सीतामऊ, धुन्धका, शामगढ़, संजीत (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, मनावर, गंधवानी (धार), राजपुर, सेंधवा, पानसेल, निवाली (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), सिंरोज, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, बरेली, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी (रायसेन), भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचौली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही, बड़वारा (कटनी),

निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांढुर्णा, अमरवाडा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा, हरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, घंसौर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील कोलारस (शिवपुरी), ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना, राघौगढ़, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), निवाड़ी (टीकमगढ़), बीना, खुरई, बण्डा, सागर, रेहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, मालथोन (सागर), पथरिया, तेन्दूखेड़ा (दमोह), व्यौहारी (शहडोल), सिंहावल (सीधी), व्यावरा (राजगढ़), लटेरी, कुरवाई, बसौदा (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), पचमढ़ी (होशंगाबाद), जामई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील खनियाधाना (शिवपुरी), चंदेरी (अशोकनगर), हुजूर (भोपाल), सीहोर, आष्टा इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, भोपाल, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, कटनी, मण्डला में जुताई व सिवनी, बालाघाट में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला सिंगरौली में फसल मक्का, सांवा, धान, उड़द, तुअर, कोदों व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, कटनी व मण्डला में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

..

5. कटाई.—

..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, शहडोल, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	53.0				
2. पोरसा	52.5				
3. मुरैना	75.0				
4. जौरा	42.0				
5. सबलगढ़	51.0				
6. कैलारस	55.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	235.0				
2. कराहल	194.0				
3. विजयपुर	85.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	59.0				
2. भिण्ड	111.0				
3. गोहद	32.0				
4. मेहगांव	106.4				
5. लहार	12.4				
6. मिहोना } 7. रौन }	66.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ...	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	70.5				
2. डबरा	45.0				
3. भितरवार	80.4				
4. घाटीगांव	3.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, मूँगफली, उड़द, सोयाबीन, धान, मूँग, तिल, तुअर, अलसी सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	152.8				
2. पिछोर	152.0				
3. खनियाधाना	481.0				
4. नरवर	114.0				
5. करैरा	191.0				
6. कोलारस	257.0				
7. पोहरी	207.0				
8. बदरवास	73.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	191.0				
2. ईसागढ़	293.0				
3. अशोकनगर	164.0				
4. चन्देरी	458.0				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, . .	7. पर्याप्त. 8. . .
1. गुना	320.1				
2. राधौगढ़	269.0				
3. बमोरी	234.0				
4. आरोन	206.0				
5. चाचौड़ा	268.0				
6. कुम्भराज	258.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूँगफली, गन्ना, तुअर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	252.0				
2. पृथ्वीपुर	219.0				
3. जतारा	232.0				
4. टीकमगढ़	193.0				
5. बल्देवगढ़	175.0				
6. पलेरा	166.0				
7. ओरछा	115.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	110.0				
2. गौरीहार	87.0				
3. नौगांव	50.0				
4. छतरपुर	116.0				
5. राजनगर	145.0				
6. बिजावर	165.0				
7. बड़ामलहरा	133.4				
8. बकस्वाहा	169.4				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, तुअर, सोयाबीन, आलू अधिक. धान, ज्वार, बाजरा उड़द, मूँग, तिल कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	218.7				
2. पन्ना	173.4				
3. गुन्नौर	208.0				
4. पवई	79.0				
5. शाहनगर	192.2				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	295.2				
2. खुरई	402.5				
3. बण्डा	329.6				
4. सागर	299.8				
5. रेहली	327.4				
6. देवरी	193.0				
7. गढ़ाकोटा	325.7				
8. राहतगढ़	286.2				
9. केसली	134.5				
10. शाहगढ़	190.0				
11. मालथोन	379.2				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	134.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	213.3		(2) ..		
3. दमोह	212.3				
4. पथरिया	337.0				
5. जवेरा	143.0				
6. तेन्दूखेड़ा	321.8				
7. पटेरा	132.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	5.5		4. (1) धान, तिल कम. सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बधेलान	7.0				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	27.0				
6. अमरपाटन	25.0				
7. रामनगर	70.0				
8. मैहर	63.0				
9. बिरसिंहपुर	20.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	150.0		4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	242.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	227.4				
4. हनुमना	200.1				
5. हजूर	166.6				
6. गुढ़	155.0				
7. रायपुरकचुलियान	112.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	44.0		4. (1) मक्का अधिक. धान, उड़द, अरहर, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	287.0		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	125.0				
4. जैतपुर	102.0				
4. बुढार	39.4				
5. गोहपारू	94.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	47.8		4. (1) मक्का, धान, कोदों, सोयाबीन, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	37.7		(2) ..		
3. कोतमा	60.2				
4. पुष्पराजगढ़	105.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	102.3		4. (1) सोयाबीन अधिक. धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	94.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	18.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	244.0		4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तिल, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	277.2		मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	195.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	88.0				
5. चुरहट	121.5				
6. रामपुरनैकिन	58.7				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का, सांवा, धान, उड़द, तुअर, कोदों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	125.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	74.4		(2)	
3. मल्हारगढ़	142.0				
4. गरोठ	189.6				
5. मन्दसौर	113.0				
6. कयामपुर	155.6				
7. सीतामऊ	83.2				
8. धुन्धड़का	95.0				
9. शामगढ़	163.8				
10. संजीत	156.0				
*जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	200.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	122.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	131.0				
4. घटिया	130.0				
5. उज्जैन	164.0				
6. बड़नगर	156.6				
7. नागदा	139.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	25.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	45.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	50.0				
4. आगर	9.0				
5. बड़ौद	11.0				
6. शाजापुर	18.0				
7. शुजालपुर	26.0				
8. कालापीपल	10.0				
9. गुलाना	23.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		मक्का, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	2.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	4.4		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. अलीराजपुर	1.8		सोयाबीन, उड़द, कपास अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. चन्द्रशेखर- आजाद नगर	1.2		बाजरा समान.		
4. सोण्डवा	8.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. कट्टीवाड़ा	10.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	161.2		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	214.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	100.8				
4. कुक्षी	81.6				
5. मनावर	148.0				
6. धरमपुरी	52.0				
7. गंधवानी	83.0				
8. डही	51.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
*जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सनावद	..		(2) ..		
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	34.0		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	49.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	86.0				
4. सेंधवा	67.0				
5. पानसेमल	123.0				
6. पाटी	43.0				
7. निवाली	129.0				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	27.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	45.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	96.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	186.5		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	168.0		गन्ना, ज्वार, तुअर कम. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	189.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	264.0				
5. सारंगपुर	168.5				
6. नरसिंहगढ़	264.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लटेरी	258.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	212.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	414.2				
4. बासौदा	414.2				
5. नटेरन	206.0				
6. विदिशा	143.8				
7. ग्यारसपुर	174.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	370.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, मूँगफली, तुअर गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	888.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	1089.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	643.0		(2)	
3. इछावर	910.0				
4. नसरुल्लागंज	839.0				
5. बुधनी	828.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	243.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	129.8		(2) . .		
3. बेगमगंज	177.4				
4. गोहरगंज	160.0				
5. बरेली	136.4				
6. सिलवानी	126.0				
7. बाड़ी	136.0				
8. उदयपुरा	123.5				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	138.5		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	181.1		(2) . .		
3. शाहपुर	124.8				
4. चिचोली	139.1				
5. बैतूल	144.0				
6. मुलताई	122.9				
7. आठनेर	78.5				
8. आमला	80.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	164.8		4. (1) मूँग-मोंठ सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	142.3		(2) . .		
3. बाबई	60.0				
4. इटारसी	177.8				
5. सोहागपुर	70.0				
6. पिपरिया	92.8				
7. वनखेड़ी	98.2				
8. पचमढ़ी	269.6				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
*जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. जबलपुर	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	169.0		4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन, राहर, कोदो.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	202.0		(2) . .		
3. बड़वारा	97.0				
4. विजयराघवगढ़	236.2				
5. बहोरीबंद	131.0				
6. ढीमरखेड़ा	145.0				
7. बरही	165.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	191.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	150.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	207.2				
4. मण्डला	138.6				
5. घुघरी	105.7				
6. नारायणगंज	134.1				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई कोदो-कुटकी की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	140.0		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, राहर, कोदो-कुटकी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	128.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	46.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	134.0		(2)	
3. परासिया	79.8				
4. जामई (तामिया)	325.4				
5. सोंसर	158.6				
6. पांडुर्णा	104.6				
7. अमरवाड़ा	70.0				
8. चौरई	62.4				
9. बिछुआ	56.2				
10. हरई	67.0				
11. मोहखेड़ा	92.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	72.0		4. (1) मक्का अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, सोयाबीन कम. तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	86.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	75.8				
4. बरघाट	91.2				
5. कुरई	52.0				
6. घंसौर	128.0				
7. धनोरा	45.7				
8. छपारा	158.9				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	169.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	115.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	218.0				
4. वारासिवनी	83.8				
5. कटंगी	80.4				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला नीमच, रतलाम, प. निमाड़, जबलपुर, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(613)